राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3475/2024

कृष्ण सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, एसीबी, जयपुर (राज.)।
4. पुलिस अधीक्षक, बूंदी (राज.)।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.11.2024
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री महिपाल खर्रा मार्फत श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 15.11.1999 (अनुलग्नक–2) को हुई थी। तत्पश्चात् वर्ष 2001 में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.05.2005 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत दिनांक 12.01.2005 को ज्ञापन दिया गया था, में परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.03.2010 (अनुलग्नक–4) के द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2010 से (परिनिंदा के दण्ड का प्रभाव देने पर) प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.07.2018 (अनुलग्नक–5) के द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.11.2017 के स्थान पर

दिनांक 01.07.2018 से दिया गया जो विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी के समकक्ष कार्मिकों को विकल्प पत्र प्रस्तुत करने पर विकल्प तिथि से नवीन वेतनमान में संशोधित वेतन निर्धारण कर वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई, जिससे अपीलार्थी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड रहा है। अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत कर अग्रिम वेतन वृद्धि दिनांक 25.11.2017 से चाही गई थी एवं प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान क्रमशः 25.11.2008 एवं 25.11.2017 से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था। परंतु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.05.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी के विकल्प पत्र दिनांक 25.11.2017 पदोन्नति, एसीपी, वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक नहीं होने से अपीलार्थी का वेतनमान दिनांक 25.11.2017 से नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया।

3. उनका कथन है कि परिनिंदा का दण्ड लघु दण्ड की परिभाषा में आता है और सीसीए नियम 17 के अंतर्गत उक्त दण्ड दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> 44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can sefely held that the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.
>
> 45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30-05-2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27-12-2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26-10-2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, ore quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.
>
> 46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."

4. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के द्वारा अपील में जवाब में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 15.11.1999 (अनुलग्नक–2) को हुई थी। तत्पश्चात् वर्ष 2001 में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.05.2005 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत दिनांक 12.01.2005 को ज्ञापन दिया गया, जिसमें आदेश दिनांक 03.05.2005 द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.03.2010 (अनुलग्नक–4) के द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2010 से (परिनिंदा के दण्ड का प्रभाव देने पर) प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.07.2018 (अनुलग्नक–5) के द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.11.2017 के स्थान पर दिनांक 01.07.2018 से दिया गया, जो कि विधि विरूद्ध है।

7. परिनिंदा का दण्ड लघु दण्ड की परिभाषा में आता है और सीसीए नियम 17 के अंतर्गत उक्त दण्ड दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि परिनिंदा के लघु दण्ड के आधार पर कार्मिक को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति एवं चयनित वेतनमान (एसीपी) का लाभ एक वर्ष के विलम्ब से नहीं दिया जा सकता है। परंतु अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष के पश्चात् दिया गया है, जो विधि–विरूद्ध है।

8. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can sefely held that the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.

45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30-05-2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27-12-2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated

26-10-2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04-06-2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, ore quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.

46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तथा उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 25.11.2008 एवं दिनांक 25.11.2017 से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष